न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

शाहजाद बनाम सरपंच ग्राम पंचायत नो...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज अपील नामान्तरण मु.नं. – 4/2024
मैं रेस्पोंडेन्ट सं० 2,3,7 से 9 14 से 18 की ओर से राजीनामा स्वीकार करता हूँ (हस्ताक्षर) 12/3/25	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा एड० ने एवं रेस्पोंडेण्ट्स संख्या 2,3,7 से 9, 14 से 18 की ओर से श्री झाबर मल जाजोदे एड० रेस्पोंडेण्ट्स द्वारा राजीनामा सही होना स्वीकार किये जाने पर राजीनामा आज तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वास्ते बहस अपील नामान्तरण पत्रावली दिनांक 26-05-2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
26.05.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थीगण उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील अपीलार्थीगण एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 11.06.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
11.06.2025	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील अपीलार्थीगण उपस्थित। वकील अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण अपील स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर को रिमाण्ड की जाती है। विस्तृत निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:58:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
04 / 2024	2024 / 270	01.08.2024	11.06.2025

उनवान प्रकरण

1. श्रीमती शहजाद पत्नी सरफूदीन आयु 68 वर्ष
2. मोहम्मद रहीस पुत्र सरफूदीन आयु 48 वर्ष
3. श्रीमती बानों पत्नी कल्लू आयु 45 वर्ष
4. जूबेर पुत्र कल्लू आयु 24 वर्ष
5. अल्ताफ पुत्र कल्लू आयु 23 वर्ष
6. हीना पुत्री कल्लू आयु 20 वर्ष
7. नूरजहॉ पुत्री कल्लू आयु 19 वर्ष
8. फयाजूदीन पुत्र इकरामुदीन आयु 50 वर्ष
9. कमालूदीन पुत्र रहीमुदीन आयु 65 वर्ष
10. असलम खान पुत्र फरीद आयु 42 वर्ष
11. मोहम्मद आसीब पुत्र फरीद आयु 26 वर्ष
12. शाबीना पुत्री फरीद आयु 46 वर्ष
13. हसीना पुत्री फरीद आयु 40 वर्ष
14. अमरीना पुत्री फरीद आयु 38 वर्ष
15. रूबीना पुत्री फरीद आयु 30 वर्ष

समस्त जाति धोबी मुसलमान निवासीगण ग्राम मानगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथानास (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:58:35 IST
Reason: SelfAttested

——अपीलार्थीगण

बनाम

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

1. सरपंच ग्राम पंचायत जुगराजपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला
नीमकाथाना (राज0)
2. अब्दुल मजीद पुत्र सिराजूददीन आयु 57 वर्ष
3. जाफर अली पुत्र सिराजूददीन आयु 45 वर्ष
4. मुमताज पुत्री सिराजूददीन आयु 48 वर्ष
5. शाहिदा पुत्री सिराजूददीन आयु 46 वर्ष
6. वहीदा बेगम पत्नी इकबाल आयु 70 वर्ष
7. आबीद अली पुत्र इकबाल आयु 50 वर्ष
8. मोहम्मद गुल बादशाह पुत्र इकबाल आयु 42 वर्ष
9. रियाजूदीन खान पुत्र इकबाल आयु 30 वर्ष
10. रूकसाना पुत्री इकबाल आयु 38 वर्ष
11. सायना बानो पुत्री इकबाल आयु 36 वर्ष
12. नोशीदा बानो पुत्री इकबाल आयु 29 वर्ष
13. रसीदा बेगम पत्नी फैज मोहम्मद आयु 67 वर्ष
14. मोहम्मद निसार पुत्र फैज मोहम्मद आयु 47 वर्ष
15. शरिफ अहमद पुत्र फैज मोहम्मद आयु 45 वर्ष
16. मो. शाहिद पुत्र फैज मोहम्मद आयु 34 वर्ष
17. मोहम्मद शोयब पुत्र फैज मोहम्मद आयु 32 वर्ष
18. मोहम्मद वसीम पुत्र फैज मोहम्मद आयु 30 वर्ष
19. फरीदा पुत्री फैज मोहम्मद आयु 43 वर्ष
20. शबनम पुत्री फैज मोहम्मद आयु 40 वर्ष
21. संजीदा बानो पुत्री फैज मोहम्मद आयु 37 वर्ष
समस्त जाति धोबी मुसलमान निवासीगण ग्राम मानगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना
22. पटवारी हल्का जुगराजपुरा तहसील श्रीमाधोपुर
23. भूमिधारी जरिये तहसीलदार तहसील श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:58:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

——रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :—

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, एड0 प्रार्थी / अपीलार्थीगण अभिभाषक।

श्री झाबर मल जाजोद, एड0 रेस्पोडेन्ट्स सं. 2, 3, 4 से 6, 7 से 9, 10 से 13, 14 से 18, 19 से 21 अभिभाषक ।

नामान्तकरण अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 20.01.1967 सरपंच, ग्राम पंचायत जुगराजपुरा, पटवार हल्का जुगराजपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर बाबत नामान्तकरण संख्या— 79 ग्राम मानगढ़, पटवार हल्का जुगराजपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना (राज0)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने एक अपील नामान्तकरण खिलाफ रेस्पोडेण्टस् के इस आशय से प्रस्तुत की है कि ग्राम मानगढ़ पटवार हल्का जुगराजपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 668, 702 / 667, 703 / 667, 704 / 672, 705 / 672 कुल किता 5 कुल रक्बा 6.4400 हैक्टर में 1 / 4 हिस्सा की खातेदारी इकबाल पुत्र रहीमुदीन व 1 / 4 हिस्सा की खातेदारी फजलू रहमान पुत्र रहीमुदीन एंव 1 / 2 हिस्सा की खातेदारी सिराजूदीन पुत्र भूरादीन कौम मुसलमान के नाम दर्ज है। जो गलत रूप से दर्ज है। अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 21 आपस में एक ही परिवार खानदान से है। जिनका सजरा खानदान पेश किया गया है। उक्त सजरा खानदान के अनुसार वादग्रस्त भूमि में 1 / 2 हिस्सा अपीलार्थीगण का है तथा 1 / 2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट्स सं. 2 ता 21 का है एवं [illegible] सानुसार ही मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है प[illegible] सिराजूदीन के बडे भाई के वारिसान अपीलार्थीग[illegible] दीन ने अपने दो पुत्र इकबाल व

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:58:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

फजलू रहमान का नाम गलत रूप से दर्ज करवा दिया जिसका उसे कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं था। अपीलार्थीगण की ओर से एक दावा बाबत इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी श्रीमती शहजाद व अन्य बनाम फजलू रहमान व अन्य मुकदमा नम्बर 157/2013 पेश किया गया। जिसमें निर्णय आदेश दिनांक 27.10.2017 को पारित फरमाया गया कि प्रकरण मे वाद कारण नामान्तकरण संख्या 79 से सम्बन्धित है। वादी नामान्तकरण की अपील से अनुतोष प्राप्त करे। इसलिए न्यायालय के समक्ष यह अपील नामान्तकरण संख्या 79 निर्णय दिनांक 20.01.67 बाबत अपीलार्थीगण की ओर से न्यायालय के समक्ष निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत है–

यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का निर्णय दिनांक 20–01–1967 बाबत नामान्तकरण संख्या 79 विधि विरूद्ध व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के विपरीत होकर अपास्त होने योग्य है। तन ग्राम मानगढ़ पटवार हल्का जुगराजपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर मे अवस्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 668, 702/667, 703/667, 704/672, 705/672 कुल किता 5 कुल रक्बा 6.4400 हैक्टर में 1/4 हिस्सा की खातेदारी इकबाल पुत्र रहीमुदीन व 1/4 हिस्सा की खातेदारी फजलू रहमान पुत्र रहीमुदीन एंव 1/2 हिस्सा की खातेदारी सिराजूदीन पुत्र भूरादीन कौम मुसलमान के नाम दर्ज है। जो गलत रूप से दर्ज है। अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 21 आपस मे एक ही परिवार खानदान से है। उक्त सजरा खानदान के अनुसार वादग्रस्त भूमि मे 1/2 हिस्सा अपीलार्थीगण का है तथा 1/2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट्स सं. 2 ता 21 का है एंव उक्त हिस्सानुसार ही मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है परन्तु रहीमुदीन की मृत्यु होने पर सिराजूदीन के बड़े भाई के वारिसान् अपीलार्थीगण के स्थान पर सिराजूदीन ने अपने दो पुत्र इकबाल व फजलू रहमान का नाम गलत रूप से दर्ज करवा [illegible] संख्या 79 व उसकी बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पारित [illegible] 20.01.67 विधि विरूद्ध होकर अपास्त होने योग्य [illegible] 1 सरपंच ग्राम पंचायत जुगराजपुरा ने चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण संख्या [illegible] निर्णय दिनांक 20–01–1967

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:58:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

बिना मजमे आम पारित किया गया जो बिना सूचना व बिना कोई नोटिस जारी किये वाला बाला पारित किये जाने से अपास्त योग्य है। अपीलार्थीगण को गलत तरीके से भरे गये नामान्तकरण व गलत तरीके से दर्ज करवाई गई खातेदारी की जानकारी नही हो सकी परन्तु पटवारी हल्का से सम्पर्क कर नामान्तकरण की नकल दिनांक 29.05.2024 को निकलवाने पर जानकारी होने पर अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। जानकारी के अभाव में हुई देरी माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया जा रहा है। अपील परस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1, सरपंच, ग्राम पंचायत जुगराजपुरा द्वारा नामान्तकरण संख्या 79 निर्णय दिनांक 20.01.1967 ग्राम मानगढ़ पटवार हल्का जुगराजपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) मे अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 668, 702 / 667, 703 / 667, 704 / 672, 705 / 672 कुल किता 5 कुल रकबा 6.4400 हैक्टर मे 1 / 2 हिस्सा की खातेदारी अपीलार्थीगण के नाम हिस्सानुसार एव 1 / 2 हिस्सा की खातेदारी रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 ता 21 के नाम हिस्सानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किये जाने का निवेदन अपनी अपील नामान्तकरण में की है।

इस पर अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये रजिस्टर्ड डाक से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1, 22 व 23 की तामील जरिए रजिस्टर्ड डाक से होने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1, 22 व 23 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वकील अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2, 3, 7 से 9, 14 से 18 की ओर से श्री झाबर सिंह जाजोद एड. ने दिनांक 30.08.2024 को राजीनामा पेश किया गया जो जरिये अधिवक्तागण दिनांक 12.05.2025 को राजीनामा सही होना स्वीकार किये [illegible] राजीनामा तस्दीक किया गया। प्रकरण में शेष रेस्पोडेण्ट[illegible] 19 से 21 की ओर से श्री झाबर मल जाजोद एड0 ने दिनांक 25.[illegible].2025 को राजीनामा पेश करने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:58:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तस्दीक किया गया। प्रकरण में रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 22, 23 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने व अन्य समस्त रेस्पोडेण्टस के द्वारा अपीलार्थीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर तस्दीक हो जाने से प्रस्तुत अपील नामान्तकरण में बहस सुनी जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील अपीलार्थीगण की बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील अपीलार्थीगण द्वारा की गई बहस पर गम्भीर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एव राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2020–2023, 2024–2027, 2028–2031, 2032–2035, 2074–2077, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल, नक्शा ट्रेस, पक्षकारान् के आधार कार्ड की फोटो प्रतियॉ, नामान्तकरण संख्या 79 दिनांक 20.01.1967 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अंकित्त वादग्रस्त कृषि भूमियो तन ग्राम मानगढ़ पटवार हल्का जुगराजपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 668, 702/667, 703/667, 704/672, 705/672 कुल किता 5 कुल रकबा 6.4400 हैक्टर में 1/4 हिस्सा की खातेदारी इकबाल पुत्र रहीमुदीन व 1/4 हिस्सा की खातेदारी फजलू रहमान पुत्र रहीमुदीन एंव 1/2 हिस्सा की खातेदारी सिराजूदीन पुत्र भूरादीन कौम मुसलमान के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है। अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 21 आपस मे एक ही परिवार खानदान से होना सजरा खानदान से स्पष्ट प्रकट होता है। नामान्तकरण खोले जाने के समय उक्त वादग्रस्त आराजी की खातेदारी रहीमुदीन व सिराजूदीन पुत्रगण भूराजुदीन कौम मुसलमान के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना तथा रहीमुदीन की मृत्यु होने पर सिराजूदीन ने अपने दो पुत्रो इकबाल व फजलू रहमान के नाम दर्ज करवाया जाना प्रकट होता है जबकि उक्त खातेदारी रहीमुदीन की मृत्यु उपरान्त उसके विधिक वारिसान् के नाम दर्ज रिकार्ड होनी चाहिए थी। नामान्तकरण संख्या 79 निर्णय दिनांक 20.01.1967 [illegible] के द्वारा नामान्तकरण स्वीकार किया जाना [illegible] इस प्रकार उक्त नामान्तकरण में

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:58:35 IST
Reason: SelfAttested

सिराजुद्दीन के द्वारा अपने भाई रहीमुद्दीन की मृत्यु उपरान्त उसके विधिक वारिसान् के नाम खातेदारी नहीं खुलवाकर अपने पुत्रों फजलु रहमान व इकबाल को रहीमुद्दीन के वारिस बताकर नामान्तकरण खुलवाया जाना स्पष्ट प्रकट होता है। जिसे निरस्त कराने हेतु रेस्पोडेन्ट्स के द्वारा अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण को स्वीकार करते हुए न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपीलार्थीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर तस्दीक करवाया जाना प्रकट होता है। इससे नामान्तकरण के गलत भरा जाना प्रतीत होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील नामान्तकरण में चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण को निरस्त कर भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को उभय पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर दिया जाकर बाद सुनवाई निर्णय पारित किये जाने हेतु नामान्तकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण को स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट ग्राम पंचायत जुगराजपुरा द्वारा नामान्तकरण संख्या 79 बाबत पारित आक्षेपित चुनौतिग्रस्त निर्णय दिनांक 20.01.1967 को अपास्त फरमाया जाकर प्रकरण को भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को रिमाण्ड किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वे प्रकरण में उभय पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर बाद सुनवाई गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक [illegible]06.[illegible]5 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:58:35 IST
Reason: SelfAttested